

॥ कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी ॥
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 344 /3क(2)/पार.स्था./2022-23/दिनांक 08/2022

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) में निहित प्राविधानानुसार पारस्परिक स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विषय:-व्यायाम						
क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम व पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मुकेश नेगी, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० बिरसनी, सहसपुर, दे०दून	सुगम	रा०इ०का० बुरांसखण्डा, रायपुर, दे०दून	दुर्गम
	रविन्द्र सिंह, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० बुरांसखण्डा, रायपुर, दे०दून	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० बिरसनी, सहसपुर, दे०दून	सुगम
2	सुदेशपाल, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० कटापत्थर, विकासनगर, दे०दून	सुगम	रा०इ०का० कोटी कालोनी, कालसी, दे०दून	दुर्गम
	मोहन प्रसाद मिश्रा, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० कोटी कालोनी, कालसी, दे०दून	दुर्गम	रा०इ०का० कटापत्थर, विकासनगर, दे०दून	सुगम
3	सुरेश बिजल्वाण, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० केदारवाला, विकासनगर, दे०दून	सुगम	रा०उ०मा०वि० मंजियाडी, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	जयन्त कुमार, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० मंजियाडी, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०इ०का० केदारवाला, विकासनगर, दे०दून	सुगम
4	आनन्द सिंह रावत, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० इटारना, डोईवाला, दे०दून	दुर्गम	रा०इ०का० डोभालवाला, रायपुर, दे०दून	सुगम
	जान्हवी भट्ट, स०अ०एल०टी	व्यायाम	रा०इ०का० डोभालवाला, रायपुर, दे०दून	सुगम	रा०इ०का० इटारना, डोईवाला, दे०दून	दुर्गम
5	हरीश लाल टम्टा, स०अ०एल०टी०	व्यायाम	रा०इ०का० टंगसा, दशोली, चमोली	सुगम	रा०इ०का० खैनुरी, दशोली, चमोली	दुर्गम
	रेखा रावत, स०अ०एल०टी०	व्यायाम	रा०इ०का० खैनुरी, दशोली, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० टंगसा, दशोली, चमोली	सुगम
6	राजपाल सिंह राणा, स०अ०एल०टी०	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० राजीवग्राम, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम	रा०उ०मा०वि० बैराईगांव, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	पुष्कर सिंह, स०अ०एल०टी०	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० बैराईगांव, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० राजीवग्राम, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम

CM

8

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 4113-24 /3क(2)/पार.स्था./2022-23/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी